

(क) इस समय चीनी मिलों और खांडसारी के कारखानों के पास कितनी चीनी स्टॉक में पड़ी है और चालू फसल के अन्त तक कितनी और जमा होने की सम्भावना है ; और

(ख) इस स्टॉक में से कितनी खुले बाजार में बेचने के लिये दी जायेगी और कितनी निर्यात के लिये दी जायेगी ?

SUGAR STOCKS

tt[110. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) how much sugar is lying in stock at present with the sugar mills and khandsari factories and how much more is likely to be accumulated by the end of the current season; and

(to) how much of the stock will be released for sale in the open market and how much for export?]

खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० एम० थॉमस) : (क) १५ अप्रैल, १९६२ को चीनी मिलों के पास २३.५३ लाख टन चीनी का स्टॉक था। बाकी के मौसम में ४ लाख टन और चीनी का उत्पादन होने की सम्भावना है। खांडसारी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है।

(ख) अक्टूबर, १९६२ तक चीनी वर्ष समाप्त होने पर आन्तरिक बाजार में बेचने के लिये लगभग १३ लाख टन और चीनी तथा निर्यात के लिये ३ लाख टन चीनी दी जायेगी।

ttTHE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI A. M. THOMAS): (a) The stock of sugar with sugar mills on 15th April, 1962 was 23.53 lakh tons. A further production of 4 lakh tons is expected during the Test of the season. Information regarding khandsari is not available.

(b) Until October, 1962 when the sugar year closes, about 13 lakh tons more would be released for sale in the internal market and about 3 lakh tons for export]

111. [Transferred to the 1th May, 1962.]

फतेपुर शेखावाटी से चुरू तक का किराया

११२. श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतेपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन से चुरू रेलवे स्टेशन तक की दूरी केवल ३२ किलोमीटर होने पर भी ६३ किलोमीटर का किराया किन कारणों से लिया जा रहा है ;

(ख) उक्त किराया किस तारीख से लिया जा रहा है ;

(ग) इस अतिरिक्त किराये से ३१ मार्च, १९६२ तक कितनी आमदनी हुई है ; और

(घ) यह अतिरिक्त किराया कब तक लिये जाते रहने की योजना है ?

[FARE FROM FATEHPUR SEKHAVATI TO CHURU

112. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the reasons why fare from Fatehpur Shekhavati Railway Station to Churu Railway Station is being charged for a distance of 63 kilometres when the actual distance between the two stations is 32 kilometres only;

(to) since which date the above mentioned fare is being charged;

(c) what has been the income derived from this additional fare upto 31st March, 1962; and

(d) how long this additional fare is proposed to be continued?]

रेल मंत्रालय में उपमंत्रि (श्री एस० बी० रामस्वामी) : (क) इस लाइन के निर्माण का वित्तीय औचित्य इसी में था कि प्रभार्य दूरी में १०० प्रतिशत वृद्धि करके किराया लिया जाय ।

(ख) १ मार्च, १९५७ से, अर्थात् उसी तारीख से जब लाइन यात्री यातायात के लिए खोली गयी ।

(ग) १९५७-५८ से १९६०-६१ की अवधि में दूरी बढ़ा कर किराया लेने के फल-स्वरूप कोचिंग यातायात से लगभग ३.७१ लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी हुई । १९६१-६२ की अवधि में आमदनी के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कब तक जारी रहेगा । यह इस बात पर निर्भर है कि यातायात में कब पर्याप्त वृद्धि होती है ताकि दूरी बढ़ा कर किराया लगाये बिना लाइन का संचालन आर्थिक दृष्टि से उचित हो ।

[THE DEPUTY MINISTER in THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI S. V. RAMASWAMY): (a) The construction of the line was found to be financially justified only with the inflation of fare by 100% in the chargeable distance.

(b) From 1st March 1957, the date from which the line was opened for passenger traffic.

(c) The additional income from coaching traffic during the period from 1857-58 to 1960-61 on account of levy of charges on inflated distances was approximately Rs. 3.71 lakhs. Figures

tf] English translation.

of earnings for 1961-62 are not yet available.

(d) It is not possible to say how long this would be continued. This depends on when the traffic develops sufficiently to make the line financially justified without inflation.]

TREATMENT OF HOUSE RENT ALLOWANCE FOR COMPUTING OVERTIME ALLOWANCE

113. DR. A. SUBBA RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any decision has since been taken to treat 'House Rent Allowance' as part of the wages for the purpose of computing overtime allowance to Railway employees; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b) The recommendation made by the Second Pay Commission that pay and all allowances should be taken into account but house rent allowance should be excluded for computing overtime wages in all cases including those under the Factories Act, 1948, has been accepted by Government.

भटिडा के पास बस और मालगाड़ी में टक्कर

११४. श्री राम सहाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भटिडा रेलवे स्टेशन से एक मील के फासले पर १४ अप्रैल, १९६२ को या उसके आसपास एक बस और एक मालगाड़ी में टक्कर किन परिस्थितियों में हुई ;

(ख) टक्कर से जन-धन की कितनी हानि हुई; और

(ग) जो व्यक्ति कसूरवार पाये गये, उन्हें क्या सजा दी गई ?